organisations and individuals from Gujarat have written to the Ministry during the period between 1-1-1987 to 31-10-1987 regarding outstanding cases of pensions and public grievances;

(b) if so, the details of such representations;

(c) the action taken thereon;

(d) the out-come thereof; and

(e) the number of cases settled and under consideration ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) to (e) The existing data system does not yield information regarding the number of representations received from a particular State/Union Territory in the manner desired. Representations raising question of policy coming within the purview of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions are finally dealt with within the Ministry, while other representations where cause of action lies with other Departments/Organisations/State Governments, are forwarded to the respective authorities for appropriate action under intimation to the complainant.

Hydrographic Survey of Brahmaputra River

1351. SHRI PRITHIBI MAJHI : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the hydrographic survey and techno-economic studies on the Brahmaputra river have been taken up; and

(b) if not, by when it will be started and the year of completion ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes, Sir.

(b) The techno-economic survey of the Brahmaputra for the purpose of declaring it as a national waterway have been completed in the year, 1985. The hydrographic survey which is in progress is expected to be completed by 1989.

रक्षा मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1352. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुईं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) 1987 के दौरान अभी तक रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई हैं । इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों में से एक सदस्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेता है ।

हिन्दी अनुभाग को छोड़कर अन्य किसी अनुभाग के लिये अभी यह संभव नहीं है कि वह अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर सके । फिर भी इस मंत्रालय के 10 अनुभागों को कुछ चुने हुए विषयों में अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। अन्य रक्षा संगठनों द्वारा भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है ।

मंत्रालय उपलब्ध साधनों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) को कार्यान्वित करने के भरपूर प्रयास कर रहा है ।